UPAZ010083322022

IN THE COURT OF

Additional District and Sessions Judge /F.T.C. 02 at **Azamgarh.**

Presided Over by RAMESH CHAND-II, H.J.S.

सिविल निगरानी सं–147/2022

1. मुर्तजा– **मृतक**

1/1. मुस्तफा उम्र लगभग 70 साल।।

1/2. इरशाद उम्र लगभग 60 साल।। पुत्रगण स्व० मुर्तुजा

2. सुल्तान– **मृतक**

2/1. मौ० अफजल उम्र लगभग 52 साल

2/2. मौ० अजमल उम्र लगभग 38 साल

3. वहाजुद्दीन – **मृतक**

4. अब्दुल मन्नान उम्र लगभग 65 साल पुत्र अब्दुल रशीद

साकिनान मौजा शाहपुर नेवादह, तप्पा बेरमा, परगना व तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़।

.....वादीगण/ निगरानीकर्तागण

बनाम

1. शामू उम्र लगभग 67 साल पत्र बद्री साकिन मौजा शाहुर नेवादह, तप्पा बेरमा, परगना व तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़। **.....प्रतिवादी/विपक्षी**

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी न्यायालय सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी० आजमगढ़ मुकदमा नंबर–172/1983 मुर्तुजा आदि बनाम शामू में दिनांक 14.09.2022 को संशोधन प्रार्थना पत्र 232 क 2 को खारिज करने से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2. संक्षेप में निगरानीकर्ता द्वारा अभिकथित किया गया है कि विवादित आराजी साबिक नं० – 381/2/2 का दौरान मुकदमा चकबन्दी फाइनल होने के उपरान्त हाल नं० 217 रकबा 72 कड़ी कायम हुआ है और उक्त हाल नं० के बावत माननीय न्यायालय की अनुमति से सर्वे नक्शा में भी हाल नं० 217 की प्लाटिंग की जा चुकी है और सर्वे नक्शा भी पुष्ट हो चुका है। चूंकि दौरान मुकदमा विवादित आराजी का हाल नं०–217 बन चुका है। अतएंव उक्त हाल नंबर का विवरण वाद पत्र में दर्ज होना न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन दौरान मुकदमा सब्सीक्वेंट इवेंट पर आधारित है और प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति भी नहीं बदल रही है तथा वादी / निगरानीकर्ता व प्रतिवादी / विपक्षी की तरफ से विवादित आराजी के साबिक नंबर व हाल नम्बर दोनों के सम्बन्ध में साक्ष्य भी दी

Digitally signed by RAMESH CHAND
Date: 2023.08.11 15:49:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जा चुकी है चूंकि प्रस्तावित संशोधन मौजा की चकबन्दी फाइनल होने पर विवादित आराजी का हाल नंबर बनाने के उपरान्त Subsequent Events के आधार पर दाखिल किया गया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को पढ़ने और उस पर राय कामय करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। विवादित आराजी के हाल नंबर से सम्बन्धित है, जिससे न तो कोई Admission Withdraw किया जा रहा है और न कोई वादपत्र की प्रकृति परिवर्तित हो रही है, अतएंव प्रस्तावित संशोधन कानूनन व इंसाफ स्वीकार किये जाने योग्य है। संशोधन पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवाद को निस्तारित करने के लिए आवश्यक है क्योंकि बिना विवादित आराजी के हाल नंबर के Effectove Decree पारित नहीं हो सकती है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने केवल विलंब के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है।

3. निगरानीकर्ताण/वादी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में अभिकथन किया है कि प्रार्थना पत्र 232 क 2 आवेदक/वादी की तरफ से इस आशय का दिया गया है कि विवादित आराजी नं० –381/2/2 का दौरान मुकदमा चकबदी फाइनल होने के उपरान्त हाल नं०–217 रकबा 72 कड़ी कायम हुआ है, तथा उक्त हाल नंबर के बावत माननीय न्यायालय की अनुमति से सर्वे नक्शा में भी हाल नं० –217 की प्लाटिंग की जा चुकी है तथा सर्वे नक्शा पुष्ट हो चुका है। चूंकि दौरान मुकदमा विवादित आराजी का हाल नंबर 217 बन चुका है। अतएंव उक्त हाल नंबर का विवरण वाद पत्र में दर्ज होना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में वादी को कोई मौखिक साक्ष्य नहीं देना है तथा प्रस्तावित संशोधन दौरान मुकदमा सब्सीक्वेंट इवेंट पर आधारित है। निम्न संशोधन की याचना की गयी है। धारा–3 के आखिरी में इबारत दौरान मुकदमा मौजा की चकबंदी फाईनल ही कर आराजी साबिक नं०– 381/2/2 के साथ साबिक नं०–385 मि० रकबा 22 कड़ी शामिल हो कर उसका हाल नं०– 217 रकबा 72 कड़ी पूर्ववत कब्रिस्तान दर्ज बढ़ाया जाये। वाद पत्र की धारा अ में अबारत बरकबा 40 कड़ी के बाद इबारत हाल नं०–217 रकबा 72 कड़ी मिल्कियत कब्रिस्तान बढ़ाया जाने की याचना की गयी है।

4. प्रतिवादी/विपक्षी की ओर से अपनी आपत्ति में अभिकथन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादी की तरफ से आपत्ति कागज संख्या– 234 ग 2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र झूठे कथनों पर आधारित है। उपरोक्त वाद 37 वर्ष पूराना है। पक्षकारों का साक्ष्य भी पूर्ण हो चुका है। उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य नहीं है। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह दर्शित नहीं किया है कि दौरान मुकदमा चकबंदी कब हुई तथा पत्रावली बहस के लिए नियत हो जाने पर उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो निरस्त होने योग्य है। इसके अलावा अन्य विधिक कथन करते हुए संशोधन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

<u>निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विधि व्यवस्थाये प्रस्तुत की गयी है–</u>

1. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था शिखरचन्द्र जैन बनाम डी.जे.पी.कारिनी शोभा AIR 1974SC 1178 का ससम्मान पूवर्क अवलोकन किया।

2. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था गनपत लाल गुप्ता एवं अन्य बनामपंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवरिया, 2003 (2) 710 (All) का ससम्मान पूर्वक अवलोकन किया।

5. उभयपक्ष क विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना व पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

6. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी के संशोधन प्रार्थना पत्र 232 क 2 आदेश पारित करते हुए यह निष्कर्ष व्यक्त किया गया है कि " प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से वादी द्वारा अपनेवाद पत्र में अंतरनिष्ठ त्रुटियों को पूर्ण करने के प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया है, ऐसा अभिकथन स्वंय वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी युक्ति–युक्त कारण दर्शित नहीं किया गया कि प्रस्तावित संशोधन प्रार्थना पत्र वाद बिन्दु विरचित किये जाते समय अथवा उसके पूर्व समय तत्परता के बावजूद भी क्यों नहीं प्रस्तुत कर सका। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वर्ष 1983 में संस्थित किया गया। इस प्रकार संशोधन प्रार्थना पत्र वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया जो कि करीब 36 वर्षो के उपरान्त प्रस्तुत है। पत्रावली प्राचीनतम पत्रावली है तथा संशोधन द्वारा जो भी स्पष्टीकरण वादी द्वारा याचित है वो सभी कथित मूलवाद में पहले से ही अंतर्निष्ठ है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की राय में प्रस्तावित संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।''

<u>आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता यह प्रावधान करती है कि–</u>

<u>अभिवचन का संशोधन–</u> न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रकम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर , जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधन किए जाएगे जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो:

परन्तु यह कि संशोधन के लिए कोई आवेदन विचारण के प्रारम्भ हो जाने के बाद अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है, जब तक सम्यक तत्परता के बावजूद न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाता कि पक्षकार विचारण के प्रारम्भ के पूर्व मामले को नहीं उठा सकता।

प्रतिवादीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा मूल वाद में प्रार्थना पत्र 232 क 2 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आराजी नं०–381/ 2/2 का दौरान मुकदमा चकबदी फाइनल होने के उपरान्त हाल नं०–217 रकबा 72 कड़ी कायम हुआ है, तथा उक्त हाल नंबर के बावत माननीय न्यायालय की अनुमति से सर्वे नक्शा में भी हाल नं०–217 की प्लाटिंग की जा चुकी है तथा सर्वे नक्शा पुष्ट हो चुका है। चूंकि दौरान मुकदमा विवादित आराजी का हाल नंबर 217 बन चुका है। अएव उक्त हाल नंबर का विवरण वादपत्र में दर्ज होना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में वादी को कोई मौखिक साक्ष्य नहीं देना है तथा प्रस्तावित संशोधन दौरान मुकदमा सब्सीक्वेंट इवेंट पर आधारित है।

उल्लेखनीय है कि संशोधन प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय यह देखा जाना है कि वाद के वास्तविक विवाद्यको के निस्तारण हेतु संशोधन आवश्यक है या नहीं, यदि वाद वास्तविक विवाद्यकों के निस्तारण हेतु प्रस्तावित संशोधन आवश्यक है तथा उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन

नहीं हो रहा हो तथा प्रस्तावित संशोधन के तथ्य वाद में विचारण की कार्यवाही के पूर्व जानकारी में नहीं रहे हो, तो उक्त संशोधन उदारता पूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था ***बी.के.एन. पिल्लई बनाम पी. पिल्लई व अन्य 2000 RJ 439*** के मामलें में यह अवधारित किया गया है कि मुख्यतः विलम्ब के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अभिवचनों में संशोधन वादो की बहुलता को रोकने के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए, विलम्ब की क्षतिपूर्ति हर्जे के रूप में की जा सकती है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था ***रघुनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड इलाहाबाद व अन्य, 2006 (100) RD 335*** यह अवधारित किया गया है कि यदि संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसा संशोधन विलम्ब के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

माननीय न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था ***हकीम व अन्य बनाम जिला जज देवरिया व अन्य, 2004 ACJ 2248*** में अवधारित किया गया है कि प्रक्रिया के पश्चातवर्ती क्रम में किये गये संशोधन जिसे पक्षकारों के विधिक अधिकार प्रभावती नहीं होते हो ऐसे संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा विधि व्यवस्था ***रामचन्द्र बनाम श्रीमती कुमेश कुमारी व अन्य 2017 (35) LCD 2315*** में यह अवधारित किया है कि विलम्ब, संशोधन प्रार्थना पत्र के अस्वीकार किये जाने का आधार नहीं हो सकता, यह भी सुस्थापित है कि प्रतिवाद पत्र में संशोधन का आधार वाद पत्र में संशोधन के आधार से बिल्कुल भिन्न होता है।

निगरानीकर्ता/ वादीगण द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान विवादित भूमि के नंबरान में हुए परिवर्तन के बावत संशोधन चाहा गया है, जो पश्चातवर्ती घटना पर आधारित संशोधन है। ऐसे संशोधन जो दौरान वाद पश्चातवर्ती किसी घटना के कारण वाद के सम्यक एवं प्रभाव पूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक हो, को उदारता पूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम की विधि व्यवस्था ***राजेश कुमार अग्रवाल बनाम के०के० मोदी (2006) 4 SCC 385*** में यह अवधारित किया है कि वादों की बहुलता को रोकने के लिए पश्चातवर्ती घटना पर आधारित प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था ***साउथ कोकंड़ डिस्ट्रिलरीज बनाम प्रभाकर गजानन नाईक, AIR 2009 SC 1177*** में यह अवधारित किया है कि अभिवचनों में संशोधन को उदारता पूर्वक बिना अत्यधिक तकनीकी के स्वीकार किया जाना चाहिए। जबतक कि दूसरे पक्ष को ऐसी कोई हानि न हो रही हो, जिसकी हर्जे से क्षतिपूर्ति न किया जा सकता हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था ***शिखरचन्द्र जैन बनाम डी.जे.पी.कारिनी शोभा AIR 1974 SC 1178*** व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था गनपत ***लाल गुप्ता एवं अन्य बनाम पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवरिया, 2003 (2) 710 (All)*** में भी माननीय न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि पश्चातवर्ती किसी परिवर्तन के सम्बन्ध में अभिवचनों

में संशोधन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, यदि वह उभयपक्ष के बीच वास्तविक विवद्यको के सम्यक निस्तारण हेतु आवश्यक हो।

विद्वान न्यायालय सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी० आजमगढ़ द्वारा वाद के प्राचीन होने तथा विलम्ब के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वाद का प्राचीन होना संशोधन प्रार्थना पत्र के निरस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। विद्वान न्यायालय सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी० आजमगढ़ द्वारा जिन आधारों पर संशोधन प्रार्थना पत्र 232 क 2 निरस्त किया गया है, उसके द्वारा विद्वान न्यायालय सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी० आजमगढ़ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर अविधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। आलोच्य आदेश दिनांकित–14.09.2022 अपास्त किये जाने योग्य है। सिविल निगरानी हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सिविल निगरानी संख्या–147/2022 मुब-500/- रूपये हर्जे पर स्वीकार की जाती है। विद्वान न्यायालय सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी० आजमगढ़ द्वारा अन्तर्गत वाद संख्या-172/1983 मुर्तुजा बनाम शामू की पत्रावली में पारित आदेश दिनांकित 14.09.2022 अपास्त किया जाता है। विद्वान न्यायालय सिविल जज जू०डि०/एफ०टी०सी० आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय में दिये गये सम्प्रेक्षण के आधार पर पक्षकारों को पुनः सुनकर प्रार्थना पत्र 232 क 2 पर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश की प्रति के साथ मूल पत्रावली अवर न्यायालय को वापस भेजी जाय। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि अवर न्यायालय में अग्रेतर कार्यवाहीं हेतु दिनांक 25.08.2023 को उपस्थित हो।

दिनांक : 11.08.2023

(रमेश चन्द II)
J.O.Code U.P.6505
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.-02, आजमगढ़।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित, हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनांक 11.08.2023

(रमेश चन्द II)
J.O.Code U.P.6505
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.-02, आजमगढ़।